# जिला स्तरीय समिति

जिन इनोवेशन परियोजनाओं का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर किया जा रहा है उनके अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जायेगी जो उस इनोवेशन को सफल बनाने हेतु मार्ग निर्देशन तथा परियोजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु हर सम्भव सहायता करेगी। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :–

क– जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक – सदस्य

ख– जिले स्तर पर यू0पी0टी0यू0 के इन्क्यूबेशन सेन्टर के प्रमुख – सदस्य

(जहां पर यू0पी0टी0यू0 के सेन्टर नहीं हैं, वहां पर प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी 31 मार्च, 2016 के शासनादेश के क्रम में पालीटेक्निक को लिया गया है।)

ग– मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य

घ– दो प्रतिष्ठित सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत संस्था/एन.जी.ओ.के प्रतिनिधि – सदस्य

(जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव के अनुमोदन से नियोजन विभाग नामित करेंगे)

च– जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक – सदस्य

छ–अन्य विभाग (जिनकी परियोजनाएं क्षेत्र कार्य द्वारा वित्त पोषित हैं) के अधिकारी– सदस्य

ज– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी – सदस्य सचिव